राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या, अपीलार्थी का नाम एवं पदनाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	4183/2025 सुरेश चौकीदार	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	08.09.2025	श्री गिरिराज राजोरिया, अभिभाषक
2.	4184/2025 घनश्याम भाम्बी			
3.	4185/2025 दिनेश कुमार			
4.	4186/2025 मांगीलाल विश्नोई			
5.	4187/2025 भंवर लाल			
6.	4189/2025 महेन्द्र पटेल		09.09.2025	
7.	4190/2025 रवि कुमार शर्मा			
8.	4191/2025 महेन्द्र पटेल			
9.	4192/2025 सतवीर सिंह			
10.	4201/2025 राकेश मीणा			
11.	4202/2025 विद्या प्रकाश मीणा			
12.	4203/2025 राकेश कुमार			
13.	4204/2025 दिनेश टाक			
14.	4239/2025 दिपेन्द्र सिंह		12.09.2025	
15.	4240/2025 पूरनमल मीणा			
16.	4267/2025 मनीषा चौधरी		15.09.2025	
17.	4268/2025 जितेन्द्र सिंह राव			
18.	4269/2025 हंशु बाई मीणा			
19.	4270/2025 दीपिका			
20.	4287/2025 विष्णु कुमार शर्मा		17.09.2025	

सुनवाई की दिनांक : 10.10.2025
आदेश की दिनांक : 10.10.2025

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 4183/2025 सुरेश चौकीदार बनाम प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत अपील के अनुसार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को उसके गृह जिले में निकटतम पोस्टिंग स्थान नहीं दी जा रही है। इस तथ्य के बावजूद कि गृह जिले में पद रिक्त हैं और अपीलार्थी से कम मेधावी उम्मीदवारों को गृह जिले आवंटित किए गए हैं। अपीलार्थी ने विज्ञापन के माध्यम से विज्ञापित पदों के लिए आवेदन किया और तदनुसार एससी श्रेणी के तहत आवश्यक दस्तावेजों के साथ पूरा आवेदन पत्र भरा, जिसमें जोधपुर पहली प्राथमिकता में था। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी को सफल घोषित कर दिया गया और दिनांक 10.09.2023 के आदेश के तहत अपीलार्थी को जिला बीकानेर आवंटित किया गया क्योंकि अपीलार्थी ने मेरिट संख्या 23131 हासिल की थी। (अनुलग्नक–2) दिनांक 12.09.2024 की एक अन्य जिला आवंटन सूची के तहत कम मेधावी उम्मीदवार सूरजप्रकाश थवलेसा जिनकी मेरिट संख्या 24947 है, को जिला जोधपुर आवंटित किया गया है, इस तथ्य के बावजूद कि उपरोक्त उम्मीदवार को प्रतीक्षा सूची में चुना गया था और इसलिए रिक्त पदों की उपलब्धता के बावजूद अपीलार्थी को बीकानेर जिले में पोस्टिंग दी गई थी। (अनुलग्नक–3) जिला आवंटन के बाद अपीलार्थी को महात्मा गांधी विद्यालय बुधपुरा चोराहा, ब्लॉक तालेरा, जिला बूंदी में नियुक्ति दे दी गई, जहां अपीलार्थी ने कार्यग्रहण किया। (अनुलग्नक–4) अपीलार्थी ने संशोधित परिणाम में उच्च योग्यता प्राप्त की है लेकिन उसे नजदीकी स्थान आवंटित नहीं किया गया जबकि प्रत्यर्थी विभाग ने कम मेधावी उम्मीदवारों को गृह जिले दिए हैं। सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग ने दिनांक 18.05.2020 को एक परिपत्र जारी किया था जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि उम्मीदवार को उनकी योग्यता सह वरीयता के अनुसार पोस्टिंग दी जानी चाहिए और प्रतिवादी को अपनी शर्तों का उल्लंघन करते हुए पोस्टिंग के स्थान के रूप में गृह जिला आवंटित नहीं किया जाना चाहिए। (अनुलग्नक–5) एसबीसीडब्ल्यूपी नंबर 6507/2017 किंडर बनाम राजस्थान राज्य और अन्य में इसी तरह के विवाद का फैसला माननीय न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर द्वारा किया गया है, अदालत ने दिनांक 04.08.2021 के आदेश के तहत कहा कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12.04.2018 को अंतरिम आदेश पारित किया गया है। (अनुलग्नक–6) इसी तरह के विवाद का निर्णय माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर खंडपीठ, जयपुर द्वारा ओम प्रकाश गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 12876/2025) के मामले में किया गया है। (अनुलग्नक–7)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी को शिक्षक ग्रेड III लेवल I के पद पर उसके वांछित स्थान/गृह जिले में नियुक्ति दी जावे, जिस प्रकार उनकी योग्यता सह वरीयता के अनुसार कम

मेधावी उम्मीदवारों को उनकी पसंद के अनुसार गृह जिला आवंटित किया गया है या प्रत्यर्थी विभाग को परिपत्र दिनांक 18.05.2020 के अनुपालन में अपीलार्थी को उसकी योग्यता सह वरीयता के अनुसार पोस्टिंग देने के निर्देश दिए जावे।

हमने अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा किडंर बनाम राजस्थान राज्य (एसबीसीडब्ल्यूपी नंबर 6507/2017) में पारित निर्णय के दृष्टिगत अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए एवं अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थीगण आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को किसी विशिष्ट तरीके से निस्तारित करने के संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा है।

अतः उक्त अपीले, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

मूल आदेश अपील संख्या 4183/2025 सुरेश चौकीदार बनाम प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य पत्रावली में इस आदेश की प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य